न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 100/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीग संतोषकंवरण
1. पेमाराम पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी चान्देलो का बाडिया रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0		1. हरजी पुत्र लाला 2. नैना पुत्र हरजी जातियान–गुर्जर,निवासी–रास तहसील–जैतारण, जिला–पाली 3. पटवारी पटवार हल्का रास द्वितीय 4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/05/2017**

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/01/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक पिता पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या दो सगा भाई है तथा एक ही परिवार के सदस्य है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने से इन पर हिन्दू विधि लागू होती है तथा अपनी पैतृक पुश्तैनी संपति को संभालकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक की पैतृक पुश्तैनी संपति सरहद मौजा पाटण पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 3004/14 रकबा 11–03 बीघा खसरा नम्बर 2849 /1 रकबा 1–10 बीघा खसरा नम्बर 2849/5 रकबा 1–10 बीघा कुल खसरा तीन कुल रकबा 14–03 बीघा कृषि भूमि सरहद मौजा पाटण मे आई हुई है। जिसमे प्रतिवादीगण संख्या एक के नाम से ही खातेदारी राजस्व रेकर्ड दर्ज है उसका उपयोग उपभोग वादी भी पैतृक पुश्तैनी होने के नाते करता चला आ रहा है। तथा उक्त संपति मे वादी का भी हक हिस्सा व अधिकार निहित है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत उक्त संपति पैतृक पुश्तैनी होने के कारण एवं अपने परिवार के भरण पोषण का एक मात्र साधन है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है वादी एवं प्रतिवादीगण की वंश वृक्षावली है, लाला पुत्र पन्ना फौत के वारिसान हरजी, लाबू, आपू, हरजी पुत्र लाला के वारिसान है रुकमा (पत्नी), नैना (पुत्र), पेमा (पुत्र), तुलसी (पुत्री), केस (पुत्री), तिजी(पुत्री)। उपरोक्त वंश वृक्षावली अनुसार लाला पुत्र पन्ना गुर्जर से उक्त संपति जरिये फौतेदगी नामान्तरण एवं बतौर उतराधिकारी के हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत ही प्रतिवादीगण संख्या एक को प्राप्त हुई है तथा उक्त सम्पति पुश्तैनी है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक वादी का पिता है जो अपनी वृद्धावस्था मे तथा पिछले 15–20 सालो से वादी के पास ही रहता है तथा उसका सम्पूर्ण हर्जा खर्चा आदि वादी ही उठाता है। वादी की समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति करता है तथा भविष्य मे भी वादी समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति करता है तथा भविष्य मे भी वादी समस्त खर्चा एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आवश्यकताओ की पूर्ति करने हेतु पाबन्द है तथा परिवार मे होने वाले सभी जायज खर्चा एवं आवश्यकताओ की पूर्ति भी वहन करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या एक को अपने पिता लाला पुत्र पन्ना से पन्ना से प्राप्त हुई तथा जरिये फौतेदगी नामान्तरण के ही प्राप्त हुई है। इसलिए उक्त संपति प्रतिवादीगण संख्या एक की स्वअर्जित संपति नहीं है बल्कि माफिक हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत लाला के उतराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या एक को मिली है जिस पर वादी का भी माफिक हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत बाई/जन्मतः हक व अधिकार प्राप्त है। उक्त आराजी स्वर्गीय लाला पुत्र पन्ना की होने से प्रतिवादीगण संख्या एक हरजी को उक्त भूमि बतौर उतराधिकारी के रूप मे प्राप्त हुई है जिसे जरिये रहन बेचान, बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करने का किसी भी रूप मे खुर्द बुर्द करने का प्रतिवादीगण संख्या एक को कोई वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या एक उक्त आराजी को भोग सकते है कारण कि वादी को उक्त आराजी मे बाई बर्थ जन्मतः मालिकाना हक व अधिकार प्राप्त है कि जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक प्रतिवादीगण संख्या दो के बहकावे मे आकर बिना परिवार मे कोई जायज जरूरत के ही तथा घर परिवार मे किसी प्रकार से रूपयो की आवश्यकता के बिना ही प्रतिवादीगण संख्या एक के किसी खर्च आदि मे आवश्यकता होने के बिना ही प्रतिवादीगण संख्या दो छलकपट पूर्वक प्रविादीगण संख्या एक को बहकावे मे लेकर जमीन हडपने की नियत से जमीन अन्य हस्तान्तरण करने पर उतारू एवं आमादा है जिससे वादी को क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी उक्त संपति पैतृक पुश्तैनी होने से एवं प्रतिवादीगण संख्या एक संयुक्त हिन्दू मुस्तर्का खानदान के सदस्य होने से उक्त संपति को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण आदि करने से वादी रूकवाने का अधिकारी है तथा वादी के हक हिरे तक उक्त संपति को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण आदि से रोकने बाबत यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादी गरीब व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक भी अनपढ होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या दो उसका अनैतिक फायदा उठाते हुए उक्त भूमि को बाहर वाले किसी न किसी अजनबी केता को जरिये रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर रूपये हडपना चाहता है एवं मौके पर खूर्द बूर्द कर राजस्व रेकर्ड की वास्तविक स्थिति मे फेरबदल करने को आमादा है तथा दिनांक 08-05-17 को प्रतिवादीगण संख्या एक ने प्रतिवादगण संख्या दो के बहकावे मे आकर वादी को ऐलानिया कथन किया कि को मात्र तक नही रखुगां सम्पूर्ण ही बेचान कर दुंगा तथा तुम्हे बर्बाद कर दुंगा तथा किसी अजनबी केता को बेचान कर दुंगा एवं मौके पर कब्जा सुपूर्द कर दुंगा जो तुम्हे बेदखल कर देंगे। प्रतिवादीगण की नियतबद्ध हो चुकी है तथा वादी की उक्त पैतृक पुश्तैनी संपति को जरिये रहन बेचान बक्सीस के अन्य हस्तांतरण करने को आमादा है यदि प्रतिवादीगण अपने ऐसे नापाक इरादो मे कामयाब हो जाता है तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा वादी अपने पैतृक पुश्तैनी हक अधिकार की संपति से हमेशाा हमेशा के लिये महरूम होना पडेगा जो इस अवैधनिक कार्य का वादी विरोध करेगा जिससे मौक पर विवाद होगा विभिन्न प्रकार की मुकदमेबाजी होगी मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार पटवार हल्का रास एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उनको इस वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस दिया जाना डिस्पेन्सविथ किया जाकर यह वादपत्र अनुमति लेकर श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र धारा 80(2) सीपीसी का अलग से पेश है। बिनाय दावा दिनांक 8-5-17 को प्रतिवादीगण संख्या एक व दो द्वारा वादी को उक्त आराजी का बेचान आदि करने एवं कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं उक्त आराजी का रहन बेचान बक्सीस व अन्य हस्तान्तरण करने का एलानिया कथन कर धमकी देने पर बमुकाम पाटण तहसील जैतारण मे पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजुद सम्मनस् तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस को समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान में वादी के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि को बेचान, रहन, बक्शीस, अन्य हस्तान्तरण करने एवं काश्त में दखलदांजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से एवं प्रतिवादी संख्या 01व 02 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा पाटण पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3004/14 रकबा 11-03 बीघा खसरा नम्बर 2849 /1 रकबा 1-10 बीघा खसरा नम्बर 2849/5 रकबा 1-10 बीघा कुल खसरा तीन कुल रकबा 14-03 बीघा भूमि में वादी के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि को बेचान, रहन, बक्शीस, अन्य हस्तान्तरण करने एवं काश्त में दखलदांजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 01व 02 को पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner